<u>न्यायालय –प्रधान जिला न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)</u>

MJC/102/2026

नान्हूसिंह :: **<u>विरूद्ध</u>** :: भू–अर्जन प्राधिकारी

(<u>आदेश दिनॉक 10-08-2026</u>)

आवेदक द्वारा श्री चंद्रकिशोर गेहलोत अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदकगण द्वारा श्री नितिन मिश्रा अधिवक्ता।

मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर तर्क श्रवण किये गये।

इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संक्षिप्ततः इस आशय का है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 धारा 34 का आवेदन पत्र क्र. Civil MJC 69/2021 जिला प्रथम जिला न्यायाधीश बैतूल (डॉ.कु.महजबीन खान) के न्यायालय में, लंबित है। उक्त प्रकरण विगत 5 वर्षों से लंबित है जिसमें आज दिनांक तक अंतिम सुनवाई नहीं हो सकी है। उक्त प्रकरण प्रत्येक नियत तिथि पर स्थगित होता रहा है, जिसके कारण आवेदक को अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। उक्त प्रकरण दिनांक 18.08.2026 को नियत है। जिले के अन्य जिला न्यायाधीश जैसे द्वितीय जिला न्यायाधीश बैतूल (श्री अहिरवार) के न्यायालय में भी समान प्रवृत्ति के प्रकरण विचाराधीन है तथा वहाँ प्रकरण में शीघ्र निराकरण की

संभावना है। उक्त आधारों पर उपरोक्त प्रकरण द्वितीय जिला न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय में अंतरित करने का निवेदन किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में पीठासीन अधिकारी जिला प्रथम जिला न्यायाधीश बैतूल से प्राप्त टीप में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रकरण दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत हुआ था तथा उनके समक्ष प्रथम बार दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत हुआ। दिनांक 11.10.2023 को प्रकरण धारा 34 एवं 34(4), मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के संबंध में आदेश हेतु नियत था, किन्तु सक्षम प्राधिकारी, भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल का मूल अभिलेख उपलब्ध न होने से आदेश पारित नहीं हो सका। तत्पश्चात् भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 0011/अ–82/वर्ष 2020–21 (मौजा भडूस) का मूल अभिलेख बुलाये जाने हेतु प्रकरण नियत होता रहा, जो अब प्राप्त हो चुका है। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह भी लेख किया गया है कि उनके न्यायालय में लगभग 600 सिविल प्रकरण लंबित हैं तथा सूचीबद्ध, अर्जेंट एवं पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा विभिन्न तिथियों पर तर्क हेतु समय चाहा गया तथा दिनांक 24.01.2026 को आवेदक द्वारा स्वयं समय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अनावेदकगण की ओर से आवेदन का विरोध किया गया है। यह भी व्यक्त किया गया है कि जिस न्यायालय में प्रकरण लंबित है, उसी के द्वारा निराकरण किया जाना उचित होगा।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन, उभय–पक्ष के तर्क, मूल अभिलेख तथा पीठासीन अधिकारी की टीप का अवलोकन किया गया।

आवेदक का मुख्य आधार प्रकरण का लगभग 5 वर्षों से लंबित होना तथा अन्य न्यायालय में शीघ्र निराकरण की संभावना है। यद्यपि प्रकरण का अनावश्यक लंबित रहना उचित नहीं है, तथापि मात्र प्रकरण का पुराना होना अथवा

स्थगन के आधार पर धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतरण उचित नहीं है।

पीठासीन अधिकारी की टीप से स्पष्ट है कि मूल अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई थी, जो अब प्राप्त हो चुका है। साथ ही विभिन्न तिथियों पर स्वयं आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा समय चाहा गया है। द्वितीय जिला न्यायाधीश के न्यायालय में समान प्रकृति के प्रकरण लंबित होना अथवा वहां शीघ्र निराकरण की संभावना मात्र भी अंतरण का पर्याप्त आधार नहीं है।

धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतरण की शक्ति न्यायहित में प्रयोग की जानी है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति नहीं है, जिससे वर्तमान न्यायालय में कार्यवाही जारी रखने से न्याय की हानि अथवा निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होना प्रदर्शित हो। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों एवं अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण के आवेदक द्वारा अंतरण हेतु कोई पर्याप्त, ठोस एवं न्यायहित आधारित आधार स्थापित नहीं किया गया है।

यद्यपि प्रकरण को अंतरित करने का आधार नहीं है, किंतु पीठासीन अधिकारी को भी इस बाबत् ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रकरण 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित है तथा अन्य समकक्ष न्यायालय में भी लंबित प्रकरणों की संख्या लगभग समान है। ऐसी स्थिति में अधिक प्रकरण लंबित होने के कारण प्रकरण के निराकरण में विलम्ब का आधार नहीं होना चाहिये।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तिथि पर तर्क हेतु तत्पर रहे। पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह दो माह के भीतर प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करें।

उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय का अभिलेख वापस प्रेषित किया जाए। परिणाम दर्ज कर विविध

व्यवहार प्रकरण का अभिलेख विहित समयावधि में दाखिल अभिलेखागार किया जाए।

Sd/-
10-08-2026

(दिनेश चन्द्र थपलियाल)
प्रधान जिला न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

DINESH CHANDRA THAPLIYAL

Digitally signed by DINESH CHANDRA THAPLIYAL
Date: 2026.08.10 17:20:41 +0530